न्यायालय सब जज, कहलगॉव, भागलपुर

पीठासीन पदाधिकारी :– अमित कुमार शर्मा

दीवानी वाद संख्या 340/2009

दुर्गा प्रसाद मंडल व अन्य बनाम बुधो महलदार व अन्य

10.08.2022 **आदेश**

वादी की ओर से हाजरी है, पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर यह निवेदन करते हैं कि उनके द्वारा इस वाद में प्रतिवादी संख्या–2 सांची महलदार के विधिक वारिसानों की उपस्थिति हेतु सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है। अतः प्रतिवादी संख्या–2 से 2 (b) के विरूद्ध एकपक्षीय कार्रवाई का आदेश दिया जाय।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के उपरांत व अभिलेख के अवलोकन के पश्चात् यह न्यायालय यह पाती है कि इस वाद में उक्त प्रतिवादी के विरूद्ध नजारत सम्मन निर्गत हुआ है।

वादी द्वारा उक्त प्रतिवादीगण के विरूद्ध निबंधित डाक द्वारा भी सम्मन भेजवाया गया। डाक रसीद अभिलेख व Track Report cum service report के साथ संलग्न है, जिसके अनुसार निबंधित सम्मन का तामिला हो चुका है।

अतः यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गयी हैं व यह न्यायालय इन सभी प्रक्रियाओं के तामिला प्रतिवेदन से संतुष्ट है। वादी के पक्ष में विधि की उपधारण निबंधित सम्मन के संबंध में है। अतः उपरोक्त सभी प्रक्रियाओं के तामिला को संतुष्ट मानते हुए दोनों प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस वाद की कार्रवाई एक पक्षीय करने का आदेश दिया जाता है। वादी अगली तिथि को इस वाद में गवाहों की सूची दाखिल करें।

वाद दिनांक 12.10.2022 को अग्रिम कार्रवाई हेतु निश्चित की जाता है।

अवर न्यायाधीश
कहलगॉव